राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

02/2017

दायर दिनांकः– 13.07.2017

अनवान

1. प्रभु पिता घीसा रेगर निवासी जौलास, तह. बिजौलियां

(मृतक दिनांक 20.08.2017 लाओलाद के कानूनी वारिस क्र.सं. 2 से लगायत 9 पर ही दर्ज है)

2. गोपीलाल पिता घीसा रेगर निवासी जौलास, तह. बिजौलियां
3. ऐजन पुत्री घीसा रेगर निवासी जौलास , तह. बिजौलियां
4. महेन्द्र पिता खाना रेगर निवासी जावदा हा0 मु0 जौलास, तह. बिजौलियां
5. राकेश पिता खाना रेगर निवासी जावदा हा0 मु0 जौलास, तह. बिजौलियां
6. शांन्ति पुत्री खाना रेगर निवासी जावदा हा0 मु0 जौलास, तह. बिजौलियां
7. घीसीलाल पिता देवा जाति रेगर निवासी जौलास, तह. बिजौलियां
8. नरोली उर्फ रतनी पुत्री देवा रेगर निवासी जौलास, तह. बिजौलियां
9. नेजी पत्नि देवा रेगर निवासी जौलास, तह. बिजौलियां

प्रार्थी........

बनाम

1. मंजु पत्नि सुरेश धाकड निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
2. रमेश पिता मोहनलाल धाकड निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
3. भीमा पिता भैरू जाति रेगर निवासी जौलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।

अप्रार्थी .....

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 183 (बी.) आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

दिनांकः 20.03.2018

उक्त प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की और से श्री रामफूल धाकड अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.07.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी.) आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया । ग्राम चान्दजी की खेडी में स्थित आराजी नं0 514/461 रकबा 23.17 बीघा किस्म बारानी तृतीय भूमि हम प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण रेगर जाति से होकर अनुसूचित जाति के सदस्य है। हम प्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी कराने पर जानकारी हुई कि हमारी भूमि के आंशिक भाग पर अप्रार्थीगण द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। अवैध कब्जे से अप्रार्थीगणो को हटाया जाकर बेदखल किया जावें। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की उसमें प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य होने एवं खातेदार होने के कारण प्रकरण सख्यां 183 "बी" रा0टि0एक्ट 1955 के तहत दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । नोटिस बाद तामील प्राप्ती पर अप्रार्थीगण संख्या 3 की और से अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र धाकड द्वारा अधिकार पत्र पेश किया जो शा.फा. किये गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नोटिस तामील होकर प्राप्त हुऐं जो शा0फा0 किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित हुऐं । एकतरफा कार्यवाही की गयी।

अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 06.12.2017 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया । प्रार्थना पत्र की प्रति प्रार्थीगण अधिवक्ता को दी गयी। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2017 के सन्दर्भ में दिनांक 10.01.2018 को प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा.दी. व आदेश 22 नियम 4 जा.दी का पेश किया गया जो शा.फा. किया गया । प्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा

तहसीलदार बिजौलियां
जिला भीलवाडा (राज.)

(5)

प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2017 से एवं प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दिनांक 10.01.2018 को प्रस्तुत किये गये की बहस की गयी। उक्त तीनो प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अवलोकन किया गया । अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी. में प्रार्थीगण में बनकर आये है। जमाबन्दी अनुसार खातेदार अमृतपुरियां के निवासी है जबकि प्रार्थना पत्र में सभी प्रार्थीगण में जौलास के निवासी है। तथा प्रार्थीगण संख्या 4, 5 व 6 की वल्दीयत भी अलग है। जमाबन्दी में वर्णित खातेदार भी आया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकार्ड में कोई भूमि दर्ज नही है। जमाबन्दी अनुसार खातेदार प्रभु पिता घीसा रेगर निवासी की मृत्यु करीब 8 माह पहले ही हो चुकी है। जबकि प्रार्थी संख्या 1 प्रभु पिता घीसा रेगर निवासी जौलास के नाम से प्रार्थना पत्र पेश किया गया । इससे यह सिद्व होता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण फर्जी व्यक्ति है। प्रार्थना पत्र खारीज योग्य ठहरता है। जबकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्पष्ट जाहिर होता है कि संशोधित टाईटल की आवश्यकता होती है।

प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थीगण वकील द्वारा संशोधित टाईटल में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा.दी. एवं आदेश 22 नियम 4 पेश किया गया । पेश किये गये प्रार्थना पत्रो में अंकित किया गया कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 9 तक का निवास स्थान अमृतपुंरिया लिखना था टाईपिस्ट की सेवन/गलती से जौलास हो गया । तथा प्रार्थीगण संख्या 4,5 व 6 की वल्दीयत में माता का नाम सरजू लिखना था परन्तु टाईपिस्ट की सेवन/गलती से माता के स्थान पर खाना अंकित हो गया । जबकि प्रार्थी संख्या 1 प्रभु पिता घीसा रेगर की मृत्यु 8 माह पूर्व बतायी गयी। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार 20. 08.2017 को हुई है। इससे यह सिद्व होता है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु से पूर्व ही प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया । प्रार्थी संख्या 1 प्रभु पिता घीसा रेगर जौलाद फौत हुआ है। जिनके कानूनी वारिसान प्रार्थीगण क्रम संख्या 2 से लगायत 9 तक हैं जो पूर्व में ही पक्षकार बनाये गयें। जिनका निवास स्थान जौलास के बजाय अमृतपुरिया होकर क्रम संख्या 4,5 व 6 में पिता खाना के बजाय माता सरजू किया जायें। वर्तमान कब्जा सम्बंधि पटवारी हल्का से पुनः दिनांक 16. 02.2018 को मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के आंशिक भाग पर 10 बीघा भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा सिद्व होता है। शेष 13.07 बीघा भूमि प्रार्थीगण के कब्जेशुदा है।

प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्तागणो की बहस सुनी गयी । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात रेकार्ड का अध्योपरान्त अवलोकन किया गया । प्रार्थी के अनुसूचित जाति का सदस्य होने तथा ग्राम जौलास के आराजी नं0 514/461 रकबा 23.07 बीघा भूमि खातेदारी होने से प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगणों को ग्राम जौलास की आराजी नं. 514/461 के आंशिक भाग 10.10 बीघा भूमि से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को बेदखल करने का आदेश दिये जाते है। तथा लगान 11.93/– रूपये का 50 गुणा राशि 597/– रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी करे तथा पटवारी हल्का को लिखा जावे। भू0अ0नि0 सलावटिया को लिखा जावे कि उक्त भूमि से अप्रार्थीगणों को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को दिलाया जावे। पत्रावली बाद दाखिल रजिस्टर के नम्बर कम होकर फैसल शूमार हो।

आदेश आज दिनांक 20.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार बिजोलियां
तहसीलदार बिजोलिया
जिला भीलवाडा (राज.)